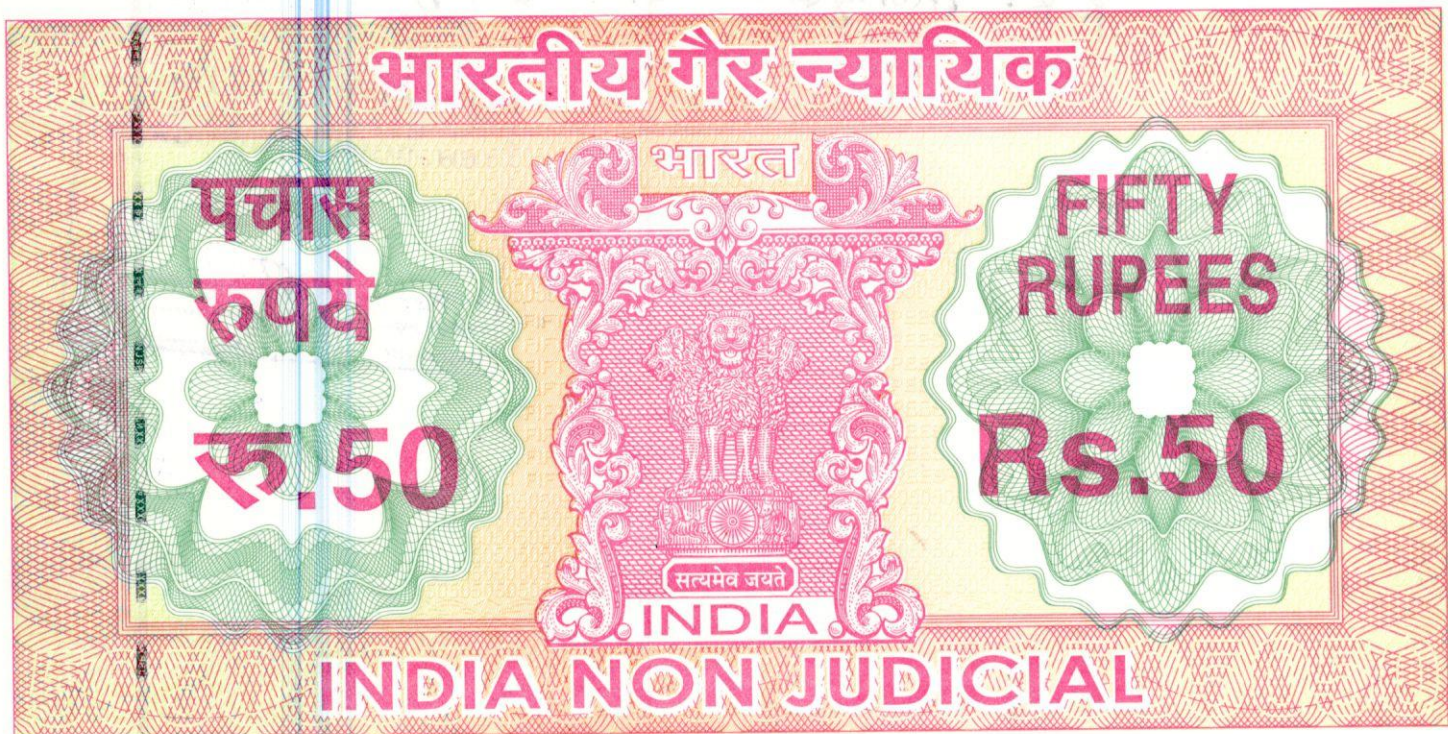




हरियाणा HARYANA

K 492527

समझौता ज्ञापन

के.आर. मंगलम विश्वविद्यालय एवं श्री रणधीर (सूअर पालन फार्म एवं गौशाला) के मध्य विश्वविद्यालय के कैंटीन एवं छात्रावास मेस से उत्पन्न खाद्य अपशिष्ट (Food Waste) के संग्रहण एवं उपयोग हेतु यह समझौता ज्ञापन (MoU) आज दिनांक 11 जुलाई 2024 को निम्नलिखित पक्षों के मध्य निष्पादित किया गया-

प्रथम पक्ष

के.आर. मंगलम विश्वविद्यालय, हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2013 (हरियाणा अधिनियम संख्या 08, वर्ष 2013) के अंतर्गत स्थापित एक स्व-वित्तपोषित विश्वविद्यालय है तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है एवं धारा 22 के अंतर्गत उपाधियाँ प्रदान करने हेतु अधिकृत है।

इस समझौते के प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व उसके अधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जिसे आगे "प्रथम पक्ष" अथवा "विश्वविद्यालय" कहा जाएगा।

तथा

द्वितीय पक्ष

श्री रणधीर, पुत्र श्री तेजपाल

निवासी - बड़ा मोहल्ला, राम मंदिर के पास, सोहना, गुरुग्राम (हरियाणा)

संचालक - रणधीर सूअर पालन फार्म एवं गौशाला संचालक

जिसे आगे "द्वितीय पक्ष" कहा जाएगा।

प्रस्तावना

चूँकि **प्रथम पक्ष** के विश्वविद्यालय परिसर स्थित कैंटीन, होटल मैनेजमेंट फूड लैब एवं छात्रावास (Hostel Mess) से प्रतिदिन खाद्य अपशिष्ट (Food Waste) उत्पन्न होता है, जिसके वैज्ञानिक, स्वच्छ एवं पर्यावरण-अनुकूल निस्तारण की आवश्यकता है।

चूँकि **द्वितीय पक्ष** सूअर पालन का कार्य करता है तथा उक्त खाद्य अपशिष्ट का उपयोग अपने **सूअर पालन फार्म एवं गौशाला** में पशु आहार के रूप में करने का इच्छुक है।

अतः दोनों पक्ष आपसी सहमति एवं विश्वास के आधार पर निम्नलिखित शर्तों पर यह समझौता ज्ञापन निष्पादित करते हैं।

1. समझौते का उद्देश्य

इस समझौते का उद्देश्य विश्वविद्यालय के कैंटीन एवं छात्रावास मेस से उत्पन्न खाद्य अपशिष्ट का नियमित संग्रहण, सुरक्षित परिवहन तथा पर्यावरण-अनुकूल उपयोग सुनिश्चित करना है।

2. कार्य का दायरा

1. विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए खाद्य अपशिष्ट का संग्रहण द्वितीय पक्ष द्वारा प्रतिदिन अथवा आवश्यकता अनुसार किया जाएगा।
2. खाद्य अपशिष्ट विश्वविद्यालय के कैंटीन, होटल मैनेजमेंट फूड लैब एवं छात्रावास मेस से प्राप्त होगा।
3. द्वितीय पक्ष उक्त खाद्य अपशिष्ट का उपयोग केवल अपने **सूअर पालन फार्म एवं गौशाला** में पशु आहार के रूप में करेगा।

3. प्रथम पक्ष (विश्वविद्यालय) की जिम्मेदारियाँ

1. विश्वविद्यालय खाद्य अपशिष्ट को निर्धारित स्थान पर एकत्रित कर द्वितीय पक्ष को उपलब्ध कराएगा।
2. उपलब्ध खाद्य अपशिष्ट की मात्रा विश्वविद्यालय की वास्तविक उपलब्धता पर निर्भर करेगी।
3. विश्वविद्यालय किसी निश्चित मात्रा में प्रतिदिन खाद्य अपशिष्ट उपलब्ध कराने के लिए बाध्य नहीं होगा।

4. द्वितीय पक्ष की जिम्मेदारियाँ

1. द्वितीय पक्ष अपने संसाधनों एवं व्यय पर खाद्य अपशिष्ट का संग्रहण एवं परिवहन करेगा।
2. खाद्य अपशिष्ट का संग्रहण निर्धारित समय पर किया जाएगा जिससे परिसर में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या उत्पन्न न हो।
3. संग्रहण के दौरान परिसर में किसी प्रकार की गंदगी होने पर उसकी सफाई द्वितीय पक्ष द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।
4. द्वितीय पक्ष खाद्य अपशिष्ट के संग्रहण, परिवहन एवं उपयोग से संबंधित सभी लागू सरकारी नियमों एवं स्थानीय निकायों के दिशा-निर्देशों का पालन करेगा।
5. खाद्य अपशिष्ट के उपयोग, परिवहन अथवा उससे संबंधित किसी भी प्रकार की कानूनी, पर्यावरणीय अथवा प्रशासनिक जिम्मेदारी पूर्णतः द्वितीय पक्ष की होगी।

5. वित्तीय प्रावधान

1. इस समझौते के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा द्वितीय पक्ष को किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाएगा।
2. द्वितीय पक्ष भी खाद्य अपशिष्ट के संग्रहण के लिए विश्वविद्यालय से किसी प्रकार का शुल्क अथवा अन्य वित्तीय दावा प्रस्तुत नहीं करेगा।

6. समझौते की अवधि

यह समझौता हस्ताक्षर की तिथि से 24 (चौबीस) माह तक प्रभावी रहेगा। दोनों पक्षों की लिखित सहमति से इसकी अवधि आगे बढ़ाई जा सकेगी।

7. समाप्ति

1. कोई भी पक्ष 30 (तीस) दिन पूर्व लिखित सूचना देकर इस समझौते को समाप्त कर सकता है।
2. किसी भी पक्ष द्वारा शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर दूसरा पक्ष तत्काल प्रभाव से समझौता समाप्त करने का अधिकार रखेगा।

8. विवाद निवारण

इस समझौते से संबंधित किसी भी विवाद का समाधान दोनों पक्ष आपसी सहमति एवं वार्ता द्वारा करेंगे। यदि विवाद का समाधान नहीं हो पाता है, तो उसका क्षेत्राधिकार केवल गुरुग्राम स्थित सक्षम न्यायालयों का होगा।

9. सामान्य प्रावधान

1. यह समझौता केवल खाद्य अपशिष्ट के संग्रहण एवं उपयोग के उद्देश्य से किया गया है।
2. यह समझौता किसी प्रकार की साझेदारी, एजेंसी अथवा रोजगार संबंध स्थापित नहीं करता।
3. इस समझौते में कोई भी संशोधन केवल दोनों पक्षों की लिखित सहमति से ही प्रभावी होगा।

हस्ताक्षर

उपरोक्त सभी शर्तों को पढ़कर, समझकर एवं स्वीकार करते हुए दोनों पक्ष इस समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं।

प्रथम पक्ष

के.आर. मंगलम विश्वविद्यालय

हस्ताक्षर: 
K.R. Mangalam University
Bohna Road, Gurugram (Haryana)
नाम: डॉ. रणधीर शर्मा

पद: Registrar

मोबाइल: 8800697002

दिनांक: 11/7/2024

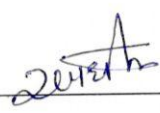
गवाह

गवाह-1

नाम: सुप्रीम मिश्र
हस्ताक्षर: 

द्वितीय पक्ष

रणधीर सूअर पालन फार्म

हस्ताक्षर: 

पुत्र: श्री रणधीर पुत्र श्री तेजपाल

पद: सिंचालक

मोबाइल: 9467883899

दिनांक: 11/07/24

गवाह-2

नाम: राजु
हस्ताक्षर: 